न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :–110/2022

1. जयपाल पुत्र हेतराम जाति स्वामी निवासी चक 17 बीएलडी तहः खाजूवाला।

..... प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– 17.11.22

–: आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम राजस्व तहसील खाजूवाला का चक 17 बीएलडी बी का मुरब्बा सं0 35/26 में कुल 20.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया हुआ है जिसके आधार पर उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया गया लेकिन प्रार्थी के पड़ौसी खातेदार उक्त सीमाज्ञान को मानने से इन्कार कर रहे है। प्रार्थी उक्त रकबा मुरब्बा सं0 35/26 में कोई भी कटानशुदा रास्ता स्वीकृत नहीं है लेकिन पड़ौसी खातेदार अप्रार्थी मदनलाल ने मेरी उपरोक्त भूमि के किला नं0 1 ता 5 में अपनी मनमर्जी के मुताबिक रास्ता निकाल रखा है तथा मेरी उपरोक्त भूमि के किला नं0 1 ता 5 में पक्की सड़क निर्माण करवाने पर आमादा है जबकि मेरे उक्त रकबा में अवैध रूप से रास्ता बनाकर पक्की सड़क का निर्माण कर दिया जाता है तो प्रार्थी को काफी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका आंकलन रूपयों में नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं प्रार्थी अपने उक्त रकबा का सीमाज्ञान करवाना चाहता हूँ ताकि मेरे रकबा में अनाधिकृत रूप से बनाये गये रास्ता पर होने वाले सड़क निर्माण कार्य को बन्द करवाया जा सके। अतः प्रार्थनापत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी के रकबा का सीमाज्ञान कर निशानदेही दिलवाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। तहसीलदार खाजूवाला से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार चक 17 बीएलडी बी मु0नं0 35/26 रकबा 5.0580 है0 क0/अ0क0 भूमि जयपाल पुत्र हेतराम हि. पूर्ण जाति स्वामी सा0 निरवाल तहः रावतसर जिः हनुमानगढ़ खातेदार रहन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा दन्तौर दर्ज है।

मुताबिक रिकॉर्ड जमाबंदी स्थगन का अंकन नहीं है। उक्त रकबे पर संलग्न मु0नं0 35/25 में 21 ता 25 में 0.0–0.02 बिस्वा पगडंड़िया तथा रास्ता कटानी रास्ता है जो कि मौके पर काश्तकार द्वारा मु0नं0 35/26 के किला नं0 1 ता 5 में चालू होना बताया। जिसकी पूर्व में कई बार सीमाज्ञान होना बताया। मौके पर विवाद होना संभव है है। अतः उक्त रकबे की सीमाज्ञान टीम गठित कर पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया जाना संभव है। मु0नं0 35/26 किला नं0 1 ता 5 तादादी 1.2645 है0 अंकित स्वामी हि0 1/3, कलावती पति जयसिंह हि0 1/3, प्रवीन पुत्र जयसिंह हि0 1/3 जाति स्वामी निः निरवान तहः रावतसर जिला हनुमानगढ़ खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी कलावती, प्रवीन वगैरह ने दिनांक 20.07.2022 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया। बहस सुनी गई।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से मुरब्बा नं0 मु0नं0 35/26 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह मु0नं0 35/26 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)